eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

भारत में महिलाओ के संरक्षण हेतु संवैधानिक अधिकार : विश्लेषणात्मक अध्ययन

डा0 डी0 पी0 यादव[1] एवं अनुराधा[2]

[1]शोध निर्देशक, सोबन सिंह जीना विधि विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा विधि संकाय, उत्तराखंड

[2]शोधार्थी, सोबन सिंह जीना विधि विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा विधि संकाय, उत्तराखंड

Received: 20 Jan 2024, Accepted: 28 Jan 2024, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2024

Abstract

प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा और स्थिति प्राप्त थी लेकिन बाद में महिला की भूमिका बिगड़ने लगी। बौद्ध काल के दौरान महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्राप्त था। दुनिया भर में महिलाओं को विभिन्न अवधियों के दौरान समान प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे समाज में निम्न स्थिति, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार न होना, बाल विवाह, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, विधवाओं की खराब स्थिति, तथा समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व न होना, साथ ही जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण। महिलाओं को अधिकार और स्वतंत्रता देकर हम महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित कर सकते हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को भी कम कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में भले ही सरकार ने महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला कोष जैसे अन्य वैधानिक निकाय प्रदान किए, लेकिन वे दंतहीन बाघों की तरह काम कर रहे थे, इसलिए इन निकायों को मजबूत करने और अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता है, वे समाज में महिलाओं की स्थिति में बदलाव देखने के लिए वास्तविक आधार पर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता भारतीय मानसिकता की पितृसत्तात्मक व्यवस्था से बाहर आनी चाहिए जो न केवल निर्णय लेने में महिलाओं की शक्ति सुनिश्चित करती है बल्कि महिलाओं की गरिमा और अधिकारों पर तर्कसंगत सोच भी लाती है। इस प्रकार यह लेख प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में महिलाओं की स्थिति, अधिकारों और भूमिका का विश्लेषण करता है तथा महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर जोर देता है तथा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं में महिलाओं के अधिकारों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर बल देता है, जिससे महिलाओं के जीवन स्तर में वास्तविक परिवर्तन या सशक्तिकरण आए।

मुख्य शब्द– महिलाएँ, अधिकार, सुरक्षा, कानून, संवैधानिक अधिकार

Introduction

समाज में महिलाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ अपना प्यार और स्नेह साझा करती हैं और अपने परिवार में पुरुषों का बोझ उठाती हैं, लेकिन परिवार और समाज में उन्हें उचित मान्यता और सुरक्षा नहीं मिलती है। दुनिया भर में महिलाओं को विभिन्न अवधियों के दौरान समान प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जैसे समाज में निम्न स्थिति, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार न होना, बाल विवाह, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, विधवाओं की खराब स्थिति, तथा समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व न होना, साथ ही जीवन के विभिन्न चरणों में महिलाओं पर पुरुषों का नियंत्रण। पिछली दो शताब्दियों में दुनिया भर में

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन और सुरक्षा देखी गई। पश्चिमी देशों में वयस्क मताधिकार के लिए आंदोलन और महिलाओं द्वारा शिक्षा, संपत्ति और रोजगार के अधिकार के लिए लड़ाई ने दुनिया में बड़े बदलाव लाए, इससे समाज के हर पहलू में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई। हमारे देश में समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन १६ वीं शताब्दी में पुरुष समाज सुधारकों द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद महिलाओं ने खुद भी स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने शुरू कर दिए। बाद में महिलाओं ने लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समानता की मांग की।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों को स्वतंत्रता मिली, उन्होंने अपने संविधान का मसौदा तैयार किया, तथा पुरुषों के समान महिलाओं के लिए भी कुछ अधिकार शामिल किये, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई सम्मेलन आयोजित किये। भारत के संविधान निर्माताओं ने लैंगिक समानता के महत्व के बारे में सोचा और संविधान में महिलाओं के लिए अधिकारों और सुरक्षा उपायों के रूप में प्रावधान शामिल किए तथा सरकार ने सभी पहलुओं में महिलाओं की सुरक्षा के लिए समय–समय पर कानून बनाए तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए तंत्र बनाए। कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को रोकने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून और नियम देश के अनुसार अलग–अलग होते हैं, लेकिन कई सामान्य कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति – भूमिका स्थिति का एक गतिशील और व्यवहारिक पहलू है। स्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति से है जिसमें समाज में पदों को परिभाषित अधिकार और कर्तव्य सौंपे जाते हैं। उदाहरण के लिए, माँ एक ऐसी स्थिति रखती है जिसमें आचरण के कई मानदंडों के साथ–साथ कुछ जिम्मेदारियाँ और विशेषाधिकार भी होते हैं। स्थिति एक संस्थागत भूमिका है जिसमें महिला सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार अपनी भूमिका निभाती है, अर्थात भूमिका ग्रहण करना और भूमिका निभाना, एकल परिवार के भीतर भूमिकाओं की इस विशेषज्ञता में पति द्वारा वाद्य की भूमिका अपनाना और कमाने वाले के रूप में तथा पत्नी द्वारा घरेलू परिस्थितियों में प्रभावी भावनात्मक भूमिका निभाना शामिल है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2001 को तैयार हुए लगभग डेढ़ दशक बीत चुके हैं, जिसमें उन्नति के लिए एक व्यापक प्रगतिशील नीति निर्धारित की गई थी। वैश्विक प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणालियों में परिवर्तन ने महिला सशक्तीकरण के लिए नए अवसर और संभावनाएं पैदा की हैं, साथ ही साथ नई और उभरती चुनौतियां भी पेश की हैं। सामाजिक व्यवस्था महिलाओं को शक्तिहीन सामाजिक और आर्थिक पदानुक्रम में रखती है, जो उनके अधिकारों की प्राप्ति में बाधा डालती है। पिछले कुछ वर्षों में कई विरोधाभासी प्रवृत्तियां देखी गई हैं, जहां लैंगिक अधिकारों और समानता की बढ़ती स्वीकार्यता महिलाओं के साथ जुड़ी हुई है, जैसे बलात्कार, तस्करी, एसिड हमले, दहेज आदि। श्रम बाजार में कमजोर सौदेबाजी शक्ति के साथ–साथ महिलाओं की ओर से नए कार्य अवसरों का विस्तार। शिक्षित महत्वाकांक्षी कैरियर की बढ़ती संख्या, महिलाओं का कार्यस्थल में प्रवेश, जबकि महिलाओं का बड़ा हिस्सा अभी भी कम वेतन वाले अनौपचारिक क्षेत्र में है, कृषि का स्त्रीकरण और महिला किसानों की बढ़ती संख्या भूमि और संपत्ति के स्वामित्व के लिए लिंग अधिकारों, उच्च मातृ नैतिकता अनुपात (एमएमआर) शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

कुपोषण और एनीमिया और वृद्धावस्था देखभाल और सहायता की कमी आदि के बड़े मुद्दे को उठाती है। वर्तमान समाज में इन्हें महिलाओं के नजरिए से देखा जाता है।

मानवतावादी सुधार– प्राचीन हिन्दू शासकों द्वारा धर्म शास्त्रों का पालन करने के उद्देश्य से शुरू किए गए विभिन्न सुधार, जो मानवतावादी सिद्धांतों का स्रोत हैं। नगर प्रशासन, ग्रामीण परिस्थितियों, शैक्षिक सुविधाओं, महान मौर्यों, गुप्तों और अन्य हिंदू शासकों के अधीन महिलाओं की स्थिति ने मानवतावादी सिद्धांतों के महत्व पर जोर दिया था जो भारत के संविधान का निहित स्रोत हैं। इसी तरह मुस्लिम शासकों ने कुरान के मार्ग का अनुसरण किया जो शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए समानता और सुधारों का स्रोत है। हालाँकि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है लेकिन कुरान के प्रतिबंधों के आधार पर महिलाओं को सुरक्षा दी जाती है। लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों के आधार पर मानवतावादी सुधारों की शुरूआत के लिए जिम्मेदार अंग्रेज, कानून का शासन, जातिगत विकलांगता निवारण अधिनियम, सती प्रथा का उन्मूलन और महिलाओं को संपत्ति के अधिकार जैसे अधिनियमों की श्रृंखला के कार्यान्वयन और पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने आदि के लिए भी जिम्मेदार थे। इन सभी मानवतावादी सुधारों को एक साथ भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में माना जाता है जिसे मानवीय मूल्यों के प्रभाव में तैयार किया गया है।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और वर्तमान समाज में इसका महत्व– महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करके हम उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति का विकास कर सकते हैं, तथा स्वतंत्रता, निर्णय लेने की शक्ति में समानता, उनकी पसंद के लिए समान व्यवसाय और राजनीति में पुरुषों के समान महिलाओं का प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं ये सभी तभी संभव हैं जब हम महिलाओं के अधिकारों के प्रति उचित देखभाल और ध्यान सुनिश्चित करें तथा उनकी सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा करें, जो हमारे देश को विकसित करने और हमारे देश को लैंगिक असमानता के रूप में देखने का अवसर प्रदान करता है (जो सतत विकास लक्ष्य संख्या 17 लैंगिक असमानता को भी पूरा करता है) और हमारे देश को नागरिक समाज, विशेष रूप से महिला संगठनों के रूप में निर्मित करने का अवसर प्रदान करता है। महिला कल्याण सेवाओं के कार्य को मजबूत करने में महिलाओं का प्रमुख विकास, कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के लिए सरकार की प्रमुख भूमिका। महिलाओं को समाज में पूर्व–साक्षर से साक्षर बुनियादी शिक्षा की ओर संक्रमण के लिए स्वयं योगदान देने में स्वेच्छा से आगे आना चाहिए, जिसका उपयोग वे महिलाओं के कामकाजी श्रम के लिए अपने ज्ञान को साझा करने और कृषि, कृषि–प्रसंस्करण, शिल्प और घरेलू उद्योग, व्यापार आदि जैसे पारिवारिक आय के विकास में करती थीं। महिलाओं को स्वयं एक महत्वाकांक्षी करियर के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है, इस आंतरिक प्रेरणा को संभवतः कुछ सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता लाकर सामने लाया जाना चाहिए।

महिला अधिकारों की सुरक्षा और राष्ट्र का विकास– महिलाओं को अधिक अवसर प्रदान करने से रोजगार में वृद्धि होती है तथा विभिन्न क्षेत्रों (संगठित एवं असंगठित) में कार्यबल की भागीदारी विकसित होती है। महिलाओं की तर्कसंगत सोच विभिन्न नवीन विचारों को जन्म देती है, यह उनके विचारों की अधिक खोज लाती है ताकि उन्हें अधिक आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति मिल सके, इसे कार्य सुरक्षा, सार्वजनिक कोने वाले स्थानों में महिलाओं को सुरक्षा देकर सुनिश्चित किया जा सकता है। शिक्षा, प्रशासन आदि के माध्यम से महिलाओं को अधिक जागरूकता प्रदान करना, जिससे उन्हें बेहतर कैरियर विकल्प तलाशने में मदद मिलेगी और पितृसत्तात्मक मानदंडों को तोड़ने में मदद मिलेगी, इसके अलावा इससे पीछे छूट गई

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

लगभग 50% महिला आबादी विभिन्न क्षेत्रों में काम करने की अपनी क्षमता के साथ आगे आ सकेगी और इससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी जो देश के विकास में स्वचालित रूप से योगदान देगा।

वर्तमान महिलाओं का सशक्तिकरण एक सामाजिक–राजनीतिक विचार है, जिसकी परिकल्पना महिला अधिकारों के व्यापक ढांचे के संबंध में की गई है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराती है, उन्हें घर के अंदर और बाहर निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ अवसरों, संसाधनों और विकल्पों तक पहुंच के अधिकार प्रदान करती है। पिछले चार दशकों को देखते हुए हम काफी हद तक निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति ने स्वायत्त महिला संगठन अन्य महिलाओं, समूह के महिला अध्ययन केंद्र आदि से युक्त महिला आंदोलनों को बदल दिया है। भारत में महिला सशक्तिकरण धीरे–धीरे विभिन्न चर में कई पहलुओं पर निर्भर करता है जिसमें भौगोलिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति शामिल है सामाजिक स्थिति और इस युग में शुरू की गई योजनाओं का दायरा और कवरेज महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी पहल का विस्तार कर रहा है। केवल रचनात्मक योजना और समाज के विभिन्न स्तरों पर व्यापक परिवर्तन से ही नई उभरती महिलाएं भारत में अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकेंगी।

स्वतंत्रता के बाद से महिला विकास के लिए दृष्टिकोणरू इनमें से सबसे महत्वपूर्ण "संवैधानिक प्रावधान, महिलाओं के लिए सामाजिक कानून और नियोजित आर्थिक विकास" से संबंधित हैं, महिला आंदोलन इस अवधि की इन व्यापक सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं।

सरकार द्वारा महिला विकास के संबंध में दृष्टिकोण

- कल्याणकारी दृष्टिकोण
- कल्याण से विकास की ओर बदलाव
- महिलाएँ और विकास
- विकास से महिला सशक्तिकरण की ओर बदलाव
- परिवर्तन के एजेंट के रूप में महिलाएँ
- मानव विकास और समावेशी वृद्धि

भारत के संविधान के तहत महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा– स्वतंत्र भारत के संविधान में कराची कांग्रेस सत्र के मौलिक अधिकार प्रस्ताव में स्वीकार किए गए महिला समानता के मूल सिद्धांत का पालन किया गया। भारत का संविधान न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने का अधिकार भी देता है, ताकि उनके सामने आने वाली सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक असुविधाओं को बेअसर किया जा सके। नीचे उल्लिखित कुछ अधिकार महिलाओं की सुरक्षा, समानता और पसंद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं।

अनुच्छेद 14– राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे।

अनुच्छेद 15(1)– धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

अनुच्छेद 15 (3)– राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाने वाले विशेष प्रावधान।

अनुच्छेद 16– सभी नागरिकों के लिए सार्वजनिक नियुक्तियों के मामले में अवसरों की समानता।

अनुच्छेद 23– मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत।

अनुच्छेद 39(ए)– राज्य अपनी नीति को सभी नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में निर्देशित करेगा, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के साधनों का अधिकार।

अनुच्छेद 39 (डी)– पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन।

अनुच्छेद 42– राज्य को काम की न्यायसंगत और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान करना।

51 (ए) (ई)– काम की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना।

महिलाओं के अधिकार और विधायी सुरक्षा–

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005– यह कानून घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है और अपने घरों में शारीरिक, भावनात्मक या आर्थिक दुर्व्यवहार का सामना करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा आदेश, निवास आदेश और मौद्रिक राहत जैसे कानूनी उपाय प्रदान करता है।

दहेज निषेध अधिनियम, 1961– इस अधिनियम का उद्देश्य दहेज की प्रथा को खत्म करना है, जो अभी भी भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। यह दहेज देने या प्राप्त करने को एक आपराधिक अपराध बनाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013– यह कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान और निवारण के लिए कार्यस्थलों में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) की स्थापना को अनिवार्य बनाता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961– यह महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मातृत्व अवकाश और लाभ के अधिकार की गारंटी देता है।

चिकित्सा गर्भावस्था समाप्ति अधिनियम, 1971– यह कानून महिलाओं को कुछ परिस्थितियों में सुरक्षित गर्भपात कराने की अनुमति देता है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006– इसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों की शादी को रोकना है।

भारतीय दंड संहिता, 1860– आईपीसी के भीतर कई प्रावधान महिलाओं के खिलाफ अपराधों, जैसे बलात्कार (धारा 375), छेड़छाड़ (धारा 354), और दहेज संबंधी अपराध (धारा 498ए) से निपटते हैं।

महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986– यह अधिनियम विज्ञापनों, प्रकाशनों या मीडिया के अन्य रूपों में महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध लगाता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976– अधिनियम में कहा गया है कि पुरुषों के समान या समान प्रकृति का काम करने वाली महिला श्रमिकों को वेतन के भुगतान में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

महिला अधिकारों के विकास के लिए सरकारी पहल–

केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड– इसकी स्थापना 1953 में स्वैच्छिकता को बढ़ावा देने, पारिवारिक महिलाओं और बच्चों के सामान्य कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रौद्योगिकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कल्याणकारी गतिविधियों को चलाने के लिए की गई थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)– इसे 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

राष्ट्रीय महिला आयोग – राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९० की धारा ३ संविधान और विभिन्न अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और जांच करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का प्रावधान करती है। प्रथम राष्ट्रीय आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। इसमें सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया गया है। महिलाओं की कानूनी दस्तावेजों की शिकायतों को जाति की परवाह किए बिना निवारण के लिए इसके पास भेजा गया। तदनुसार, एससी महिलाओं की समस्याओं सहित उनके खिलाफ शारीरिक हिंसा की समस्याओं से भी इसके द्वारा निपटा जाता है। अन्य वैधानिक आयोगों की तरह, आयोग को भी प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसे दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। एनसीडब्ल्यू ने हमेशा महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें की हैं और कार्रवाई की है। एनसीडब्ल्यू बहुत प्रयास करता है, जिससे साझेदारी दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, लेकिन आयोग का शिकायत निवारण और परामर्श कार्य अधिक सफल नहीं रहा है, आयोग में स्वायत्तता का अभाव है और इसकी भूमिका का निष्पादन इसके संस्थागत डिजाइन द्वारा प्रतिबंधित रहा है आयोग को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसके अधिदेश को पूरा करने के लिए कम है तथा सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और यह एक बड़ी कमी है क्योंकि आयोग अपने सदस्यों का चयन स्वयं नहीं कर सकता है।

निष्कर्ष– महिलाओं के अधिकारों को अक्सर विकास का सुखद परिणाम माना जाता है लोगों की मानसिकता इस बात को बहुत कम आंकती है कि महिला अधिकार किस प्रकार आर्थिक विकास को गति देते हैं, कि यदि महिलाओं के हाथ में योग्य नौकरी है तो यह तीन तरह से लाभकारी होती है, नौकरी होने से उन्हें स्वतंत्र समाज मिलता है, वे अपनी नौकरी के प्रति सम्मान रखती हैं, इससे उनके परिवार की आय की स्थिति में भी सुधार होता है और इससे देश का विकास भी होता है। महाकाव्यों (रामायण, महाभारत आदि) को उदाहरण के रूप में लेकर हिंसा और अत्याचारों के बारे में जागरूकता प्रदान करके, इससे महिलाओं के मूल्य और शक्ति को समझने में मदद मिल सकती है।

वैदिक काल में महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता था ताकि हमें वर्तमान शताब्दी में पहले की तरह ही मूल्य और सम्मान देना पड़े। सभी क्षेत्रों में अधिक जागरूकता के लिए कार्यक्रम और कल्याणकारी भाषण आयोजित करना ताकि महिलाओं के विकास और अन्वेषण के बारे में लोगों की सोच और उनकी विचारधारा में सुधार और परिवर्तन हो सके, हमें महिलाओं को अधिकारों की सुरक्षा देकर उनकी सुरक्षा के लिए भरोसेमंद होना होगा। राज्य और केंद्र सरकार दोनों को योजनाओं को लागू करने, कल्याण विभाग और महिलाओं के सभी क्षेत्रों के लिए बेहतर उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए एक–दूसरे के साथ समन्वय करना चाहिए, यह कल्याण कार्यक्रम हर महिला तक पहुंचना चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार को महिला

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 07, Issue 01, January 2024

अत्याचार मामलों के अधिकार क्षेत्र के आधार पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। महिलाओं को जीरो एफआईआर लाभ का उपयोग करना चाहिए। सरकार को अत्याचारों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय मुख्य रूप से रोकथाम बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए "रोकथाम इलाज से बेहतर है "सरकार को रोकथाम के लिए अभिनव रूप से सोचना चाहिए जैसे महिलाओं के लिए आत्मरक्षा कोचिंग, योग, ध्यान प्रदान करना ताकि पीड़ित खुद को हिंसा से बचा सकें। जागरूकता कार्यक्रमों से महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों से बचा जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि ये कानून मौजूद हैं, फिर भी भारत में महिला संरक्षण अधिकारों का प्रभावी कार्यान्वयन और प्रवर्तन विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त, देश में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए कानूनी जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन के प्रयास जारी हैं ।

सन्दर्भ सूची–

1. सेरवाई, एचएम (2021). भारत का संवैधानिक कानून 3 खंडों में), लॉ एंड जस्टिस पब्लिशिंग कंपनी, चौथा संस्करण, पुनर्मुद्रित 2021 ।

2. महेंद्र पी सिंह. (2022)। वी.एन.शुक्ला भारत का संविधान, ईस्टर्न बुक कंपनी ।

3. डीडीबासु (2008) – भारत के संविधान का परिचय, लेक्सिसनेक्सिस ।

4. वेंकटेश्वरलू, चौ. (2013)। कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान और कानून, अभिनव इंटरनेशनल मंथली रेफरीड जर्नल ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, खंड II, पृष्ठ संख्या 6 और 7 सितंबर'13 ।

5. फ्रेजर, ए., और आइरीन, टी. (2004). विकासशील शक्ति, महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय विकास को कैसे बदल दिया। न्यूयॉकर्रू सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में फेमिनिस्ट प्रेस ।

6. वेंकटेश्वरलू, चौ. (2022)। मानव मूल्य और भारत का संविधान, इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड लीगल रिसर्च खंड IV अंक III] पृष्ठ संख्या 8.

7. अनामे, एफओ (2015) – पुस्तकालय और सूचना सेवा के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव और हिंसा को कम करना। http://www-splq-info-issues/vol1382/07-htm-